

[Shri Raj Bahadur.]

Private Limited, Visakhapatnam, and audited Profit and Loss Account for the year ended the 31st March 1956 and the Balance Sheet as on that date. [Placed in Library, see No. S-26/57.]

NOTIFICATION ENFORCING THE NATIONAL HIGHWAYS ACT, 1956 AND OTHER RELATED NOTIFICATIONS.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under section 10 of the National Highways Act, 1956:—

- (i) Ministry of Transport (Roads Wing) Notification S.R.O. No. 1180, dated the 4th April 1957, appointing the date on which the National Highways Act, 1956, shall come into force.
- (ii) Ministry of Transport (Roads Wing) Notification S.R.O. No. 1181, dated the 4th April 1957, regarding the exercise of functions in relation to the execution of works pertaining to certain national highways by State Governments.
- (iii) Ministry of Transport (Roads Wing) Notification S.R.O. No. 1182, dated the 4th April 1957, publishing the National Highways Rules, 1957. [Placed in Library, see No. S-6/57 for (i) to (iii).]

NOTIFICATION PUBLISHING AMENDMENT IN THE DELHI ROAD TRANSPORT AUTHORITY (FUNCTIONS AND DUTIES OF THE GENERAL MANAGER AND CHIEF ACCOUNTS OFFICER) RULES, 1952.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR): I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 52 of the Delhi Road Transport Authority Act, 1950, a copy of the Ministry of Transport (Transport Wing) Notifica-

tion No. 18-TAG(23)54, dated the 11th June 1956, publishing a further amendment in the Delhi Road Transport Authority (Functions and Duties of the General Manager and Chief Accounts Officer) Rules, 1952. [Placed in Library, see No. S-5/57.]

BALANCE SHEETS, ACCOUNTS, AUDIT REPORT ETC. OF THE DELHI ROAD TRANSPORT AUTHORITY.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR): I beg to lay on the Table, a copy each of the following papers, under sub-section (3) of section 33 of the Delhi Road Transport Authority Act, 1950:—

- (i) Balance Sheets of the Delhi Road Transport Authority for the year 1954-55.
- (ii) Profit and Loss Accounts together with the Operating Accounts of the Delhi Road Transport Authority for the year 1954-55.
- (iii) Financial Reviews by the General Manager, Delhi Road Transport Authority for the year 1954-55.
- (iv) Audit Report on the Annual Accounts of the Delhi Road Transport Authority for the year 1954-55 together with the observations of the Delhi Road Transport Authority thereon. [Placed in Library, see No. S-27/57 for (i) to (iv).]

MOTION FOR PAPERS

DR. R. B. GOUR (Andhra Pradesh): Sir, I have put in a Motion for Papers on the Mahbubnagar railway accident. Nothing has been decided on my said motion, Sir, nor have the Government placed the Report of the Enquiry Commission on the Table of the House with their Resolution thereon. Is it intended

that there should be no discussion at all on that? What is the position, Sir?

MR. CHAIRMAN: We are discussing it on the Railway Budget.

DR. R. B. GOUR: On the Railway Budget? Well, Sir, we have not been supplied with a copy of the Commission's Report, nor with a copy of the Resolution.

MR. CHAIRMAN: Well, we will see about it.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: Now, we take up the discussion on the President's Address.

पंडित अलगू राय शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता प्रज्ञापित की जाय :

“१३ मई, १९५७ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के सम्मुख राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है, उसके लिये राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।”

राष्ट्रपति के प्रति ऐसे अभिभाषण के लिये कृतज्ञता प्रकाशित करने की सामान्य परिपाटी है। न इसमें कोई नवीनता है, न कोई विचित्रता। परन्तु इस बार राष्ट्रपति को भारत को जनता ने, जनता के प्रतिनिधियों ने जिस उत्साह से, जिस प्रेम से दोबारा चुना है, उसके राष्ट्रपति वास्तव में पात्र हैं। वे उस गांधी-युग के प्रतीक हैं, जो स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ चुका है। देश

के साधारण लोक-सेवा-कार्यों में उनकी निष्ठा रही है। जब राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी की मूर्ति बिहार के भूचाल के समय ग्राम-ग्राम में जन-साधारण की सेवा करते हुये मेरे समक्ष आती है तो मैं उस महापुरुष के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। जो भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उनके सम्पर्क में आयेगा, वह यह देखेगा कि उनमें पृथ्वी के समान क्षमा और समुद्र के समान गम्भीरता है। वे महापुरुष “क्षमया पृथिवी समः, समुद्र इव गांभीर्यं” हैं। जो रूप हमको राम के चरित्र में मिलता है वह इस श्याम मूर्ति को निरखने में मिलता है। वे सचमुच उन्हीं गुणों का सम्मिश्रण हैं। ऐसे महापुरुष को राष्ट्र ने अपना प्रतीक बनाया और ऐसा करके अपना गौरव ही बढ़ाया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण को हम ध्यान से पढ़ें तो ३० वाक्य समूहों के छोटे से अभिभाषण में उन्होंने उन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशद् प्रकाश डाला है और हमारा नेतृत्व किया है जो प्रश्न हमारे सामने और राष्ट्र के सामने, बल्कि विश्व के सामने समस्या के रूप में हैं और उनके समाधान की अपेक्षा है। किस तरह उनका हल निकले इसकी पुकार है मानवता की ओर से, इस देश की मानवता की ओर से और विश्व की मानवता की ओर से। क्या हमारे देश की समस्याओं का और क्या विदेशों का, सभी प्रश्नों पर गम्भीरता के साथ थोड़े थोड़े शब्दों में हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। उन समस्याओं को सामने रख कर उनको सुलझाने की ओर इतिदिक् इशारा किया गया है कि इस दिशा में जाने से काम चलेगा। उसमें कोई डिक्री का रूप नहीं है, कोई अध्यादेश का रूप नहीं है, कोई उपदेश का रूप नहीं, सिखावन का रूप है, चेतावनी का रूप है, मंत्रणा का रूप है। हमारा जो यह प्रजातन्त्र का ढांचा है, उसमें जो मूर्धन्य स्थान में बैठा हुआ महान् व्यक्ति है, वह ऐसा ही कर सकता है। उसका रूप डिक्टेटर का रूप नहीं है। तो इस अभिभाषण